न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 08 / 2020

अपीलान्ट

1. भूपाराम पुत्र मोटाराम
   जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी, ग्राम पंचायत आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जरिये सरपंच
2. अगराराम वल्द प्रहलादराम
3. सांवलाराम वल्द प्रहलादराम
4. गणेशाराम वल्द प्रहलादराम
5. झीणीदेवी पत्नी प्रहलादराम
6. पुरा वल्द सोना
7. चेलाराम वल्द मोटाराम
8. मुकनाराम वल्द मोटाराम
9. गवरी पत्नी स्व. मोटाराम
10. गवरी पत्नी स्व. मोटा
11. विरधा वल्द समेलापना वल्द समेला
12. मांगा वल्द केसरा
13. छेला वल्द केसरा
14. पूनमा वल्द केसरा
15. जोरा वल्द केसरा
16. गिरधारी वल्द केसरा
17. लिखमा पुत्र केसरा
18. नवा वल्द केसरा
19. मीरों बेवा केसरा
    जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी ग्राम पंचायत आमलियाला तहसील गुड़ामालानी
20. महादेवा वल्द भगवानाराम
21. शेरा वल्द भगवानाराम
22. वगता वल्द भगवानाराम
23. नरींगा वल्द भगवानाराम
24. सन्तोकोदेवी पत्नी भगवानाराम फोत के कायम मुकाम रेस्पो. संख्या 20 से 23
    जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत भेडाणा दिनांक 20.09.2002 ग्राम सोनगिरी की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 33 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/1/22

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता मोटाराम के नाम से खा[illegible] भूमि ग्राम सोनगिरी की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 255, 258, 252, 295, 296 की आई हुई थी। अपीलान्ट के पिता मोटाराम के [illegible]वास होने से का[illegible] का नामान्तरणकरण संख्या 84, 85, 8[illegible] राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible] गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलान्ट का नाम भूपाराम पुत्र मोटाराम के स्थान पर रूपाराम वल्द मोटाराम गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का सही नाम भूपाराम है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलती से भूपाराम के स्थान पर रूपाराम लिख दिया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दायर किये गये नामान्तरकरण को हू–ब–हू अपीलान्ट को बगैर सुने स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 84, 85, 86 ग्राम सोनगिरी की ढाणी के ग्राम पंचायत भेडाणा के स्वीकृत आदेश में अपीलान्ट का नाम रूपाराम पुत्र मोटाराम के स्थान पर सही नाम भूपाराम पुत्र मोटाराम दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश प्रदान कराने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होने से पेश की गई।

अपील दिनांक 20.10.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 13 दिनांक 05.10.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता मोटा पुत्र सोना के फौत होने पर उसके स्थान पर ग्राम सोनगिरी की ढाणी में दर्ज नामान्तरण संख्या 84, 85 व 86 में वारिसान के नाम चेलाराम मुकनाराम रूपाराम पि. मोटाराम गवरी पत्नी मोटाराम दर्जकिये गये। प्रार्थी उस समय नावालिग था और भूलवश उसका नाम भूपाराम के बजाय रूपाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका आदि में उसका नाम भूपाराम दर्ज है। प्रार्थी की माता गवरी देवी व सहखातेदारान ने भी रूपाराम व भूपाराम एक की व्यक्ति के दोनों नाम होना बताया। ग्राम पंचायत आमलियाला द्वारा इस बाबत प्रमाण पत्र दिया है। साथ ही प्रार्थी का नाम ग्राम सोनगिरी की ढाणी के खसरा नम्बर 255, 255/2, 258, 252, 296, 294 व 295 की खातेदारी भूमि में "रूपाराम" के स्थान पर "भूपाराम पुत्र मोटाराम" दर्ज किया जाने की अभिशंषा की है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की वहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। समस्त रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अपील विलम्ब से पेश करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 84, 85 व 86 ग्राम सोनगिरी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 255, 255/2, 258, 252, 296, 284 व 295 की खातेदारी भूमि में अपीलाण्ट का नाम "रूपाराम पुत्र मोटाराम" के स्थान पर सही नाम "भूपाराम पुत्र मोटाराम" दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:15:13 IST
Reason: Self Attested

निर्णय आज दिनांक 1/9/2022 ....को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी